तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म जो में जारी
26-3-14	पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दि० 9-4-14 को पेश हो।	
9.4.14	वकील अपी० 390. हल नाजा प्राप्त हो चुका श्री रेस्पो. नं-1 के समन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है लेकिन वे अनुपस्थित हैं। बहस सुनी गई. पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10-4.14 को पेश हो।	
10.4.14	आज पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। अपी० ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 L.R.Act. नामा० नं. 258 वाके ग्राम ईलनाका निर्णय दि० 24-1-07 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत रूंडिया से व्यथित होकर इस आशय की प्रस्तुत की है कि अपी० ख.नं. $\frac{220}{0.40}$ वाके ग्राम ईलनाका तहसील नगर को खातेदार सुल्ली, रजाक पिसर जगमाल व मोहरबी पुत्री जगमाल ने अपी० फातमा पत्नी सपात खाँ के पक्ष में दिनांक 3-6-06 को जरिए रजि० बयनामा विक्रय कर दिया, तथा मौके पर कब्जा दे दिया। उक्त बयनामा के नामा० नं. 258 को ग्राम पंचायत रूंडिया ने [illegible] अपीलार्थी दिनांक 24.1.07 को [illegible] हुए खारिज का मौके पर [illegible] नामा० कर दिया [illegible] अपील प्रस्तुत की नकल लेकर [illegible] जांच किये बिना ग्रामपंचायत ने कब्जे की जांच किये बिना ग्राम पंचायत का अपी० को बिना सुने पारित ग्राम पंचायत का आदेश निरस्तनीय है। अंत में निवेदन किया है कि ग्रा०खा० नं. 258 निर्णय दि० 24-1-07 — लगायत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:01:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
को निरस्त कर अपीलार्थी के नाम दा०खा० खोलने के आदेश प्रदान करें। साथ में म्याद अधि० की धारा 5 के अन्तर्गत प्रा० पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब को अवधि कण्डोन करने हेतु निवेदन किया है। अपील दर्ज रजि० की जाकर रेस्पो०सें रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। तहसीलदार नगर के पत्रांक/रा.क./14/930 दिनांक 2-4-14 के साथ मूल नामा० सं 258 वाले ग्राम इंडिया प्राप्त हुआ जो पत्रावली शामिल है। हमने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मूल नामा० सं. 258 वाले ग्राम [illegible] के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह नामा० पटवारी द्वारा दि० 23.1.07 को अपीलार्थी फारूख के नाम बयनामा दि० 3-6-06 का खोला गया है, जिसका निर्णय दिनांक 24.1.07 को ग्राम पंचायत इंडिया द्वारा किया है जिसमें अंकित किया है कि – "आज दिनांक 24-1-07 को ग्राम सभा में नामांकन पेश हुआ सॉलय नं. 9 [illegible] 13 सर्व सम्मति से अस्वीकार है। क्योंकि मौके पर कब्जा क्रेता का नहीं है।" बयनामा दिनांक 3-6-06 के अवलोकन से खा.नं. $\frac{220}{0.40}$ वाले ग्राम इंडिया का विक्रय खुल्ली वगैरह वाले ग्राम [illegible] का विक्रय खुल्ली वगैरह अपील के पक्ष में किया जाना लेकिन खतेदार द्वारा अपील के पक्ष में किया जाना लिखा है तथा लाइन नं. 16 व 17 में कब्जा खाली अंकित है तथा इस प्रकार पर क्रेता को दिया जाना अंकित है। इस प्रकार पर क्रेता को दिया जाना अंकित है। नामा० बिना ग्राम पंचायत उक्त बयनामा का [illegible] निर्णय किया है जांच किये गैर कानूनी [illegible] अतः आदेश है कि – अपील [illegible] तथा नामा० सं. 258 का [illegible] नगर किया जाता है। प्रकरण [illegible] प्रतिप्रेषित किया जाता है। को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित [illegible] को इस निर्देश के साथ नामा० का निस्तारण करें। कि पुन: जांच कर नामा० का निस्तारण करें। निर्णय की प्रति सहित मूल नामा० लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा० दफ्तर हो। [illegible] (हरिश्चन्द्र [illegible]) उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज०	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:01:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner